

हिमाचल प्रदेश सरकार  
“निर्वाचन विभाग”

....

संख्या: 5-24 / 2008-ई.एल.एन., तारीख: शिमला-171009,

12 अगस्त, 2009

अधिसूचना

प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पीईआर (एआर) ए (4) 1 / 2007, दिनांक 25 जून, 2007 तथा पीईआर (एआर) एफ (7)- 2 / 98-मिस., दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2008-2009 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा 1 (बी) में दर्शाए गए 17 बिन्दुओं पर आधारित समस्त सूचना को सम्मिलित करके दिनांक 30 जुलाई, 2009 को विभागीय वैबसाईट <http://ceohimachal.nic.in> पर अपलोड़ कर दिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निर्वाचन विभाग की वैबसाईट <http://ceohimachal.nic.in> पर अपलोड विभाग की “वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2008-2009” को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जन-साधारण जानकारी हेतु अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश देती हैं।

आदेश द्वारा,  
अनिल खाची,  
सचिव (निर्वाचन),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: 5-24 / 2008-ई.एल.एन., तारीख: शिमला-171009,

12 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि प्रेषित है :-

1. प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को उनके ऊपरवर्णित पत्रों के सन्दर्भ में राजपत्र की प्रति सहित सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
3. समस्त जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी व अपील प्राधिकारी, निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश।
4. निर्वाचन संचालन शाखा, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला को सूचनार्थ।

हस्ताक्षरित/-  
अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।